निर्णय व इजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–09/2018
दायरा दिनांक :–15.01.2018
निर्णय दिनांक :–27.01.23

उनवान

1. चोधरां बाई पुत्री श्री प्रताप पत्नी हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां हाल निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0

–**वादीया**

बनाम

1. लेखराज पुत्र श्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

–**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–27.01.2023

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री गोविन्द सिंह एड0– वादी
2. श्री मदनलाल गालव एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्रामगोरधनपुरा पटवार हल्का बराना तहसील बारां जिला बारां राज0 में वादीया व प्रतिवादी कमांक 1 के खातेदारी की आराजियात वर्तमान खाता सं0 203 पुराना 195 की खसरा नं0 204 की रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.13 हे0, 257 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 726 रकबा 0.85 हे0, खसरा नं0 751 रकबा 2.84 हे0, खसरा नं0 751/855 रकबा 0.13 हे0, कुल 6 किता कुल रकबा 4.38 हे0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादी नं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।
उक्त वर्णित आराजियात वर्तमान खाता सं0 203 पुराना 195 की खसरा नं0 204 रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.13 हे0,खसरा नं0 257 रकबा 0.23 हे0,खसरा नं0 726 रकबा 0.85 हे0,खसरा नं0 751 रकबा 2.84 हे0,खसरा नं0 751/855 रकबा 0.13 हे0, कुल 6 किता कुल रकबा 4.38 हे0, में वादीया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कमांक 1 का 2/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया व प्रतिवादी कमांक 1 अपने हिस्से पर पृथक–पृथक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा अभी वर्तमान में भी वादीया व प्रतिवादी कमांक 1 पृथक पृथक काबिज काश्त है। संयुक्त खाता होने से आराजियात के भू–सुधार में अनावश्यक परेशानी होती है। आराजियात का बंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नहीं है। इस कारण उसमें भू–सुधार नहीं किया जा सकता आराजियात के सही उपयोग एवं सही काश्त व्यवस्था के लिए अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना, उसमें खाद, बिज, सिचांई की व्यवस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। किन्तु संयुक्त खाता रखने से किसी भी पक्षकार द्वारा आराजी को रहन बेचान करने की असुविधा रहती है। तथा खाता वादीया व प्रतिवादी कमांक के 1 के शामलाती दर्ज रहने से ये आशंका बनी रहती है। कि कोई भी पक्ष बिना विभाजन के आराजियात को रहन बेचान करके दूसरे पक्ष को परेशानी में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खाता रखा जाना संभव नहीं है।

वादीया ने प्रतिवादी कमांक 1 से खाता पृथक–पृथक दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा मना करने पर व वादीया को उसके हिस्से की आराजियात से बेदखल करने की धमकी देने पर वादीया की हकूक टिनेन्सी को खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में वादीया को अपने कानूनी हकूकों से वंचित हो जाने की पूरी–पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है। साथ ही इससे आराजियात की काश्त व उपयोग में भी बाधा पहुंचेगी। अतः वादीया उक्त आराजी वर्तमान खाता सं0 203 पुराना 195 की खसरा नं0 204 की रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.13 हे0,257 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 726 रकबा 0.85 हे0, खसरा नं0 751 रकबा 2.84 हे0, खसरा नं0 751/855 रकबा 0.13 हे0, कुल 6 किता कुल रकबा 4.38 हे0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां जिला बारां का विभाजन करवाकर 1/3 हिस्सा आराजी अलग से निश्चित कराकर उसी अनुसार बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

वादीया ने दिनांक 31.12.2017 को प्रतिवादी कमांक 1 से आपसी सहमति से आराजियात का बंटवारा करने व वादीया का हिस्सा अलग करने को कहा तो वे इकांर हो गया। तथा धमकी दी, कि वे वादीया को उनके हिस्से आराजी पर काश्त नहीं करने देगा। उसे रहन बेचान कर मुंतकिल कर देगा। अतः वाद कारण दिनांक 31.12.2017 को अंतिम बार वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां उत्पपन्न हुआ। तथा वर्तमान में भी पैदा हो रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2064–67 खाता सं0 195, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072–75, नकल नक्श ट्रेस पेश किया गया। साक्ष्य वादी पेश नहीं की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2038–57 खाता सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
बारां

142, नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2038–57 खाता सं0 143, नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2048–51 खाता सं0 68,नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2052–55 खाता सं0 151,नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2068–71 खाता सं0 203, पेश की गई। साक्ष्य वादी में pw1 लेखराज के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः–

तनकी नं0 1ः– आया कि ग्राम गोरधनपुरा में स्थित आराजी किता 6 रकबा 4.38 हे0 में वादीया 1/3 हिस्सा की सहखातेदारी है। तथा अपना हिस्सा पृथक करा पाने व प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने की अधिकारी है। **–वादीया**

तनकी नं0 2ः– आया कि वादीया एवं प्रतिवादी मीणा जाति के सदस्य है। जिसमें पैतृक सम्पति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। **–प्रतिवादी**

तनकी नं0 3ः– आया कि सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी काबिज काश्त है। तथा वादीया का कब्जा नहीं होने से वाद निरस्तनीय है। **–प्रतिवादी**

तनकी नं0 4ः– अनुतोष।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लैम में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रतिवादी का कथन है। कि वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश कर चुके है। वादी द्वारा काउन्टर क्लैम का जवाब पेश नहीं किया गया। वादी का वाद साक्ष्य नहीं पेश करने पर खारिज होने योग्य है। तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जावे। वादीया का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया है। जबकि प्रतिवादी का नाम ही आना चाहिए था। क्योंकि प्रतिवादी मीणा जाति के है। बंटवारे के संबधं मं वादी की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रतिवादी ने दस्तावेज पर प्रर्दश करवाये है। जिससे साबित होता है। कि पैतृक सम्पति थी परन्तु अभी दोनों के खाते में है। वादीया के नाम गलत नाम दर्ज हो गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते है। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि पुत्र नहीं है तो पुत्रियों को पिता की सम्पति में अधिकार प्राप्त होते है। वादीया का वाद खारिज किया जावे, तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकीवार निस्तारण नियमानुसार किया जाता हैः–

तनकी नं0 1ः– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2064–67 के अनुसार लेखराज [illegible] मांगीबाई पत्नी प्रताप कोम मीणा के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी में [illegible] दिनांक 13.11.2010 से मृतक मांगीबाई के स्थान पर लेखराज पुत्र प्रताप चौ[illegible] करने का नोट अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

है। प्रतिवादी द्वारा आर0बी0जे0 (28) 2021 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की सिविल पेश की। जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों में लागू नहीं होते है। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। अतः यह तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी नं0 2:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2038–57 खाता सं0 142 में प्रताप पुत्र भेरूलाल जाति मीणा का नाम दर्ज है।नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2048–51 खाता सं0 68 में प्रताप पुत्र भेरूलाल जाति मीणा का नाम दर्ज है। नकल नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2052–55 खाता सं0 151 में लेखराज पुत्र प्रताप, मु0 मांगीबाई पत्नी प्रताप कोम मीणा सा0 देह दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है। कि खातेदार प्रताप के फौत होने पर लेखराज व मांगीबाई का नाम दर्ज हुआ।नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2068–71 खाता सं0 203 में लेखराज पुत्र प्रताप हिस्सा 2/3, चोधरांबाई पुत्री प्रताप हिस्सा 1/3 कोम मीणा दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि खातेदार मांगीबाई के फौत होने पर चोधरांबाई नाम दर्ज हुआ जबकि मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था विवादित आराजी ग्राम गोधनपुरा में स्थित है। वादीया की शादी जिरोद तहसील अटरू में हुई है। वर्तमान में वह जिरोद में निवास करती है। विवादित भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं बयानों से यह साबित होता है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे वादीया का भूमि पर कब्जा साबित हो सके। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह तथ्य सामने आया कि विवादित आराजी पर वादीया का कब्जा काश्त नहीं है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते है। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहती है। जबकि उसका हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीया का वाद खारिज एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद खारिज किया जाता है। तथा प्रतिवादी कम 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां के खसरा नं0 204 की रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.13 हे0, 257 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 726 रकबा 0.85 हे0, खसरा नं0 751 रकबा 2.84 हे0, खसरा नं0 751/855 रकबा 0.13 हे0, कुल 6 किता कुल रकबा 4.38 हे0 से वादीया का नाम खारिज किया जाता है। तथा सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी कम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीया को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय दिनांक 27.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

27/1/23

(मालविका त्यागी)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 09/2018	अन्तर्गत 53 एवं 188 आर टी एक्ट	
समक्ष : **श्रीमती मालविका त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		निर्णय दिनांक:– 27.01.2023
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री गोविन्द सिंह	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री मदन लाल गालव	

वाद शीर्षक

उनवान

1. चोधरां बाई पुत्री श्री प्रताप पत्नी हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां हाल निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0

–वादीया

बनाम

1. लेखराज पुत्र श्री प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील बारां के खसरा नं0 204 की रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 229 रकबा 0.13 हे0, 257 रकबा 0.23 हे0, खसरा नं0 726 रकबा 0.85 हे0, खसरा नं0 751 रकबा 2.84 हे0, खसरा नं0 751/855 रकबा 0.13 हे0, कुल 6 किता कुल रकबा 4.38 हे0 से वादीया का नाम खारिज किया जाता है। तथा सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी कम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीया को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.01.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested